न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–591/2026
रानीगंज थाना कांड संख्या– 13/2024

मनीष कुमार मंडल..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

04-05-2026 आवेदक/अभियुक्त मनीष कुमार मंडल की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो रानीगंज थाना कांड संख्या– 13/2024, अंतर्गत धारा– 363, 366(A), 34 भा0द0वि0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रामाशंकर ठाकुर एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक धिरेन्द्र यादव के अनुसार यह है कि दिनांक 06.01.2024 को समय करीब 02 बजे दिन में उसकी नाबालिग लड़की मीनु कुमारी कलावती कन्या उच्च विद्यालय रानीगंज बोलकर गयी, जब देर शाम तक नहीं आयी तो वह तथा उसके परिजन उसका खोजबीन करने लगा। खोजबीन में कुछ पता नहीं चला। उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला–फुसलाकर शादी करने की नियत से अपहरण कर ले गया। दिनांक 07.01.2024 को समय करीब 12 बजे दिन में सूचक का लड़का राजा कुमार के मोबाईल नं0 8757309410 पर उसकी पुत्री मीनु कुमारी का फोटो, मीनु कुमारी के नाम का आई0डी0 बनाकर मैसेज किया, सिंदूर लगा फोटो भेजा था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व इसके अलावे कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। उभय पक्षों के मध्य समझौता हो गया है। आवेदक और पीड़िता में एक–दूसरे से प्रेम–प्रसंग है और दोनों एक–दूसरे से शादी कर वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पीड़िता का आवेदक ने अपहरण नहीं किया था। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर सूचक की पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का अंक पत्र से स्पष्ट है कि पीड़िता वयस्क है। उसने अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में अभियुक्त के साथ प्रेम–संबंध को स्वीकार किया है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।